अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां।

विविध वाद संख्यां 18/19–20
राजकुमार महतो वगैरह
बनाम
गाजो महतो वगैरह

आदेश का क्रम संख्यां एवं तारिख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित।

22.10.2020

आवेदक राजकुमार महतो वगैरह, ग्राम अम्बासखुआ, थाना गावां जिला गिरिडीह के आवेदन पत्र को जांच कर राजस्व उप–निरीक्षक/ प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है उक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। जांच प्रतिवेदन निम्नवत हैः–

–: विवादित भुमि का विवरणः–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
अम्बासखुआ		12	88,89	0.51 एकड

उक्त भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत कर विभिन्न तिथियों में अभिलेख की कार्रवाई गयी एवं दोनों पक्षों के सुनने एवं लिखित जवाब का अवलोकन किया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन से वर्णित है कि आवेदन पत्र के साथ कागजातों का जांच एवं स्थल पर जाकर जांच किया गया, मौजा अम्बासखुआ, थाना नं 364, खाता नं 12, प्रश्नगत प्लॉट नं 88 रकवा 0.28 एकड, एवं प्लॉट नं 89 रकवा 0. 23 एकड तथा अन्य प्लॉट कुल रकवा 10.26 एकड सर्वे खतियान में आवेदकगण के परदादा हरदेयाल महतो के नाम से रैयती खाते की भूमि दर्ज है, सर्वे खतियान से यह भी ज्ञात होता है कि वादगत प्लॉट नं 88, एवं 89 रकवा क्रमश 0.28 एकड तथा 0.23 एकड कुल रकवा 0.51 बकब्जे चेतो महतो के पिता पेसनाम जेहल महतो दर रैयत खाता नं 06 दर्ज है। हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी ।। जिल्द संख्यां ।।। के पेज नं 96 पर खतियानी रैयत हरदेयाल महतो के पुत्र नेमचन्द महतो के नाम से खाता 12 रकवा 10.26 एकड की जमाबंदी दर्ज है, एवं लगातार लगान रसीद निर्गत की जा रही है। जांच के क्रम दर रैयत द्वितिय पक्ष के खाता नं 6 प्लॉट नं 88 एवं 89 रकवा 0.28 एकड एवं 23 एकड कुल रकवा 0.51 एकड एवं खतियानी रैयत (प्रथम पक्ष) के खाता

06 है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा खतियानी रैयत चेतो महतो के वारिसान बताते हैं, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर बंशावली निम्न प्रकार हैः–

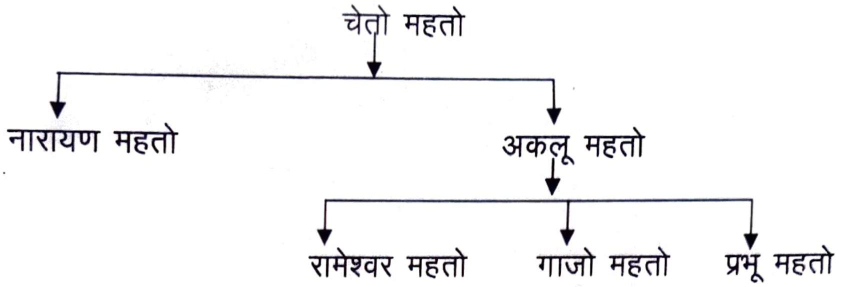

स्थल जांच से ज्ञात होता है कि वादगत प्लॉट 88 एवं 89 रकवा क्रमशः 0.28 एकड तथा 0.23 एकड कुल करवा 0.51 एकड भूमि धान खेत है। जिसपर वर्षो से द्वितिय पक्ष के दखल कब्जा में है एवं स्थानिय लोगों के द्वारा भी बताया गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितिय पक्ष खतियानी दर रैयत के वंशज नहीं है।

अभिलेख में संलग्न दोनों पक्षों का अवलोकन किया गया जिसमें मामला बंशावली समापन एवं उतराधिकार हो जाता है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भी उपलब्ध करायी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22/10/2020
अंचल अधिकारी,
गावां।

22/10/2020
अंचल अधिकारी,
गावां।

Digitally signed by Mahendra Rabidas
Date: 2023.01.12 17:07:09 +05:30
Location: 192.168.247.76